दिनांक 08.05.2025
प्रेस विज्ञप्ति 13/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट आगरा/थाना लोहामंडी

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के आभूषण**
- **01 तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 07.05.2025 को थाना लोहामंडी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जीआईसी ग्राउंड के पास पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त मिलर उर्फ मिलन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के आभूषण, 01 तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना लोहामण्डी पर पंजीकृत चोरी के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना लोहामण्डी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मिलर उर्फ मिलन निवासी पवन विहार बाल्मीकि बस्ती टेढी बगिया थाना ट्रान्सयमुना, कमिश्नरेट आगरा हाल निवासी थाना हाथरस गेट, जनपद हाथरस।

बरामदगी

1—चोरी के आभूषण।

2—01 तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढाना

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 08.05.2025 को थाना बुढाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बुढाना–कांधला मार्ग पर चेकिंग के दौरान बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त इरशाद उर्फ काला घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर हत्या, लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 25 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बुढाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इरशाद उर्फ काला निवासी ग्राम अलीपुर अटेरना थाना बुढाना, मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना तिलहर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 किलो 523 ग्राम अवैध अफीम बरामद**

दिनांक 08.05.2025 को थाना तिलहर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे पुल बंथरा के नीचे निकट रेलवे लाईन के पास से 02

अभियुक्तों 1–राजकुमार 2–विनोद कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 किलो 523 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना तिलहर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजकुमार निवासी ग्राम गिधौर थाना गिधौर जनपद चतरा, झारखण्ड।

2–विनोद कुमार निवासी ग्राम गिधौर थाना गिधौर जनपद चतरा, झारखण्ड।

बरामदगी

1–02 किलो 523 ग्राम अवैध अफीम।

- **जनपद जालौन/थाना आटा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 51 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद जालौन पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना आटा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ लंगड़ को आजीवन कारावास व 51 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद अम्बेड़करनगर/थाना हंसवर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 24–24 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अम्बेड़करनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेड़करनगर द्वारा थाना हंसवर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 364/323/325 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत 03 अभियुक्तों 1–कन्हैया 2–राम तिलक 3–संदीप को आजीवन कारावास व 24–24 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना खतौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना खतौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–फिरोज को आजीवन कारावास व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फिरोजाबाद/थाना सिरसागंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना सिरसागंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अजय पाल को 10 वर्ष के कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना सण्डीला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना सण्डीला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त धरमू को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना डिबाई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना डिबाई पर पंजीकृत अभियोग में धारा 306/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त प्रेमपाल उर्फ शंकर लाल को 10 वर्ष के कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट आगरा/थाना हरीपर्वत (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट आगरा पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय आगरा द्वारा थाना हरीपर्वत पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(1) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अजय प्रताप को 10 वर्ष के कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।